HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 394/2026

Mana Ram S/o Shri Dhuda Ram, Aged About 35 Years, R/o Bhilo Ki Dhani, Barasan, Guddmanalni Police Station District Barmer (Lodged In Dist. Jail Barmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pritam Solanki Mr. Arunoday Inkeshwar for Mr. K.L. Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Girdhar Singh Bhati, for Complainant

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2025** अपराध अन्तर्गत **धारा 115(2), 126(2), 118(2), 109(1), 324(2), 307 व 3/5 भारतीय न्याय संहिता** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी भागीरथ की नाक काटकर उसे गंभीर चोट पहुंचाई है। अनुसंधान के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ धारा 115(2), 126(2), 118(2), 109(1), 324(2), 307 व सपठित धारा 3/5 भारतीय न्याय संहिता के दंडनीय आरोप हैं। आरोप–पत्र पेश किया जा चुका है। परिवादी की धारदार हथियार से नाक कटने से जो चोट आई है, वह गंभीर प्रकृति की है, किंतु जीवन के लिए प्राणघातक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक

07.10.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी भागीरथ की धारदार हथियार से नाक काटकर उसके चेहरे पर क्षति पहुंचाई है। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावें।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी के शरीर पर कारित चोट गंभीर प्रकृति की है, किंतु जीवन के लिए प्राणघातक प्रकट होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 07.10.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मानाराम पुत्र धुड़ाराम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 186/2025 पुलिस थाना गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **50,000–50,000/– (अक्षरे पचास–पचास हजार रूपए मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में

उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

12-sandeepJ/-